उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन ।

पत्रांक संख्याः 1805/84-2-2022 दिनांकः 19 दिसम्बर, 2022

विज्ञापन

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ में रिक्त 01 गैर न्यायिक सदस्य (महिला) के पद पर नियुक्ति की जानी है ।

उक्त पद पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-10 के अनुसार राज्य आयोग के सदस्य 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा 65 वर्ष की आयु के अद्यधीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु यह इस शर्त के अधीन है कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या- 2-अ तथा ब में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तो की पूर्ति करता है । ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी ।

2- इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन-पत्र की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2023 है।

(अ) <u>सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता:-</u>

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 40 वर्ष से कम न हो।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्वक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम-से-कम 20 वर्ष का अनुभव रखता हो।

(3) राज्य आयोग का कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष महिला होगी ।

(ब) <u>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्ह होगा, यदि वह-</u>

(क) ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो; अथवा

(ख) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो; अथवा

(घ) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो; अथवा

(ड.) राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

3- राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

4- अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2021 के नियम 4 राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए संदेय वेतन एवं भत्ते के अनुसार सदस्य पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते देय होंगे । तदनुसार संलग्न प्रारूप में एक शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा ।

5- राज्य उपभोक्ता आयोग के गैर न्यायिक सदस्य (महिला) पद पर नियुक्ति हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उनकी उपलब्ध विगत 10 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियों व सत्यनिष्ठा के आधार पर की जाएगी । उक्त के अतिरिक्त अन्य मामलों में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और योग्यता, सत्यनिष्ठापूर्वक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा ।

6- अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रू0 1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत, जो **निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ** के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाएगा ।

7- निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए हैं या निर्धारित योग्यता नही रखते हैं; उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं शुल्क वापसी नहीं की जाएगी ।

8- अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो संलग्न किया जायेगा।

9- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र **निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ,उ.प्र. पिन कोड- 226010** को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा।

10- आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन-पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्र स्वत: निरस्त समझे जायेगें।

11- अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

(आर.वी. सिंह)
विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रपत्र

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश में सदस्य (गैर न्यायिक) पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते स्वीकार किये जाने के लिए शपथ का प्रपत्र

मैं..... महिला सदस्य (गैर न्यायिक), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2021 के अनुसार सदस्य पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते स्वीकार्य हैं।

(अभ्यर्थी का नाम)

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

पत्रांक-1805(1) /84-2-2022 दिनांकः 19 दिसम्बर, 2022

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

प्रदेश के राज्य उपभोक्ता आयोग में रिक्त 01 गैर-न्यायिक सदस्य (महिला) के पद पर नियुक्ति की जानी है । उक्त नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत बने उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी । उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन पत्रांक : 1805 /84-2-2022, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 एवं आवेदन प्रारूप, राज्य उपभोक्ता आयोग की विभागीय वेबसाइट http://scdrc.up.nic.in पर अपलोड है। आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 20 जनवरी, 2023 निर्धारित है । इच्छुक अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से सेवा शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर, वांछित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए राज्य आयोग कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा सीधे निर्धारित तिथि दिनांक 20 जनवरी, 2023 तक आवेदन निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र. पिन कोड- 226010 के पते पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जाएंगें ।

(आर.वी. सिंह)

विशेष सचिव,

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग

उत्तर प्रदेश शासन ।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 में गैर न्यायिक सदस्य (महिला) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्याः1805/84-2-2022 दिनांकः 19 दिसम्बर, 2022

1. आवेदित पद का नाम- .....

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन स्व प्रमाणित फोटो चिपकायें ।

2. अभ्यर्थी का नाम-

(क) हिन्दी में.....

(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....

3. पिता/पति का नाम.....

4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).....

(ख) विज्ञापन की तिथि को आयु-.....वर्ष.....माह.....दिन

5. (क) शैक्षिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता संबंधी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करें) का विवरण :-

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी
1	हाई स्कूल			
2	इंटरमीडिएट			
3	स्नातक			
4	परास्नातक			
5	अन्य			

(ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा)

.....

.....

6. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का विवरण.....

.....

.....

(उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 20 वर्ष का अनुभव)

(ख) विधि मामलों में बार पंजीयन संख्या व दिनांक तथा निस्तारित कराये गए वादों का विवरण.....

.....

(ग) कितने वर्ष का ज्ञान व अनुभव रखते है (अनुभव प्रमाण पत्र संलग्नक के रूप में रखें).....

(घ) जिस संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया है, उक्त के सन्दर्भ में निम्नलिखित विवरण संलग्न करें :-

1. अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली रजिस्टर्ड संस्था का नाम व संस्था का स्थायी पता.....

2. संस्था का रजिस्ट्रेशन संख्या.....

3. रजिस्ट्रेशन जारी होने का दिनांक.....

4. संस्था का रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले विभाग का नाम.....

5. संस्था के अध्यक्ष व सचिव का नाम, पता व मोबाइल नं.

क्रमांक	पदनाम	नाम	मोबाइल नं. (अनिवार्य)	ई-मेल (अनिवार्य)	रजिस्टर्ड स्थायी पता
1	अध्यक्ष				
2	सचिव				

(ड़) संस्था के सरकारी/गैर सरकारी वित्तीय स्रोत का विवरण.....

(नोट- 1. संस्था द्वारा गलत प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तो संस्था के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी ।

2. उपरोक्त विवरण कार्यरत सरकारी सेवक/ सरकारी सेवानिवृत्त कार्मिकों/ अधिवक्ताओं द्वारा नहीं भरा जाना है । यदि कोई अधिवक्ता गैर सरकारी संस्था से सम्बद्ध है तो सम्बंधित संस्था का उपरोक्तानुसार विवरण उपलब्ध कराया जाय)

(च) अभ्यर्थी यदि पूर्व में राज्य आयोग/जिला आयोग का सदस्य रह चुका है तो कितनी बार और कहाँ (विवरण एवं अवधि अंकित करें).....

.....

.....

.....

7.(क) स्थायी पता.....

.....

.....

.....

(ख) पत्र व्यवहार का पता.....

.....

.....

.....

(ग) गृह जनपद.....

(घ) ई-मेल आई.डी. (अनिवार्य).....

(ड़) टेलीफोन नं0 एस.टी.डी. कोड सहित.....

(च) मोबाइल नं0.....

8.(क) वर्तमान व्यवसाय.....

.....

(ख) पूर्व में किस राज्य की न्यायिक अधिकारी रही हैं अथवा हैं.....

.....

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (यदि अभ्यर्थी किसी राजकीय/भारतीय सेवा आदि सेवा से सेवानिवृत्त हैं, तो इसका पूर्ण विवरण अंकित करें, प्रमाण पत्र सहित).....

.....

.....

9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति).....

.....

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

(क) पिता.....

.....

(ख) पति.....

.....

11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें

.....

.....

.....

12. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में उच्चतर न्यायिक सेवा, सिविल सविर्सेज में या किसी राजकीय/भारतीय सेवा में रही है अथवा कार्यरत है वह नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसके परिणाम का विवरण अंकित करें

.....

.....

.....

.....

यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो, उसका विवरण अंकित करें

.....

.....

.....

.....

यदि सेवायोजन अवधि में गत 10 वित्तीय वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें

.....

.....

.....

.....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण

.....

.....

.....

.....

13. अभ्यर्थी यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत है अथवा रही हैं तो निम्न विवरण अंकित करें :-

(ए) विभाग का नाम.....

(बी) नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम.....

(सी) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहीं).....

(डी) वेतनमान एवं मूल वेतन.....

(ई) सेवानिवृत्ति तिथि.....

(एफ) विभाग का पत्र व्यवहार का पता

.....

.....

(जी) सेवानिवृत्ति के समय पदनाम.....

14. अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2021 के नियम 4 राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए संदेय वेतन एवं भत्ते के अनुसार सदस्य पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते देय होंगे। तदनुसार संलग्न प्रारूप में एक शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ दिया जाएगा।

15. अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो संलग्न किया जायेगा।

16. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ,उ.प्र. पिन कोड- 226010 को सभी प्रमाण पत्रों एवं बैंक ड्राफ्ट रु.1000/- (रु. एक हजार मात्र) मूल रूप में निर्धारित अंतिम तिथि तक भेजना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

.....

.....

.....

तिथि..... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

स्थान..... अभ्यर्थी का नाम.....

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

घोषणा पत्र

मैं.....घोषणा करती हूँ कि - (1) मैंने विज्ञप्ति में दी गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है, वे मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरी करती हूँ। (2) मुझे उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2021 के अनुसार सदस्य पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते स्वीकार्य हैं । (3) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैने इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर .....

अभ्यर्थी का नाम.....

प्रपत्र

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश में सदस्य (गैर न्यायिक) पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते स्वीकार किये जाने के लिए शपथ का प्रपत्र

मैं..... महिला सदस्य (गैर न्यायिक), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्त किये जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2021 के अनुसार सदस्य पद हेतु संदेय वेतन एवं भत्ते स्वीकार्य हैं।

(अभ्यर्थी का नाम)